

—:आदेश:—

यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नं० 7 रकबा 2.26 है० वाके ग्राम टेहडकी तह० मुण्डावर के बाबत बहकवादी बरखिलाफ प्रतिवादी सं० 1 डिक्री किया जाता है। एवं खसरा नं० 7/1 रकबा 1.51 है० का प्रतिवादी उमराव को एवं खसरा नं० 7/2 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम टेहडकी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं० 1 को हु० ई० दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी को उसे मिलने वाले हिस्से रकबे से बेदखल ना करे, पाबन्द रहे। कुर्रेजात प्रस्ताव "प्रदर्श-अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.04.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.04.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)